एपीपी – ए
क्राईम ।

प्रपत्र संख्या – III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी जिला जोधपुर राज.

मरवत वगैरा बनाम आलीज वगैरा वगैरा
किस्म मुकदमा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर 97/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/08/20	पत्रावली पेश हुयी । वकुलाय पक्ष उपस्थित। वाद वादी का दिनांक 11.02.2020 को प्राथमिक डिकी किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार फलौदी ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो शामिल मिसल किया। विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी अधिवक्ता वादी अपनी बहस में बताया की माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी फरमाया जावें। अधिवक्ता प्रतिवादी ने वादी के तथ्यो का पुरजोर विधोध किया ।पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। बाद अवलोकन एवं बहस पर मनन के वाद वादी का अंतिम डिकी योग्य पाया जाता है। **आदेश** वाद वादी का स्वीकार कर अंतिम डिकी किया जाता है ग्राम कलरां पटवार क्षेत्र बावडी कलां के खेत खसरा सं. 53 में वादी के बंट रकबा 2.12 बिघा भूमि माफिक विभाजन प्रस्ताव तथा प्रतिवादीगण के बंट खसरा संख्या 53/2 में रकबा 2.13 बिघा भूमि माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार रखी जाती है विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार फलौदी इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। माफिक आदेश अंतिम डिकी पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25/08/20 को सरे इजलास सुनाया गया। (यशपाल आहूजा आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर फलौदी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 18:18:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner